हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/1/12	अधिवक्ता प्रति. सं. 9, 10, व 11 श्री तारचन्द आर्य द्वारा आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई दिनांक 9/3/18 को अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रति सं. 9,10,11 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O8 R06 R/W 151 CPC का पेश किया जिसे हमरा से दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाने के दिए गये। वस्तुतः उक्त प्रार्थीगण प्रति सं. 9,10,11 द्वारा मूल वाद संख्या 03/2004 तारचन्द वगैरह बनाम मोहनलाल वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 R.T. Act 1955 बाबत [illegible] एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया था। उक्त मूल वाद में उक्त प्रति. द्वारा का.दा. मय काउन्टर वाद प्रार्थना अन्तर्गत O8 R6 CPC के तहत दिनांक 01-07.2016 को पेश हुआ। जिसकी प्रतिलिपि अधिवक्ता वादीगण को दी गई; तत्पश्चात दिनांक 30/6/17 को राजस्व मण्डल द्वारा न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में आयोजित [illegible] लोक अदालत [illegible] पर आज वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र को NOT-PRESS करने पर जरिये NOT PRESS खारिज कर दिया गया। जबकि दिनांक 01-07.2016 को प्रति सं. 9, 10, 11 द्वारा काउन्टर वाद (प्रतिदावा) निर्णयार्थ शेष रह गया। दिनांक 9/3/2018 को आज प्रति. सं. 9, 10, व 11 प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र O8 R6 CPC पर प्रार्थी प्रति. की बहस सुनी गई। त्रुटिवश से हुई उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा उक्त प्रा.पत्र स्वीकार योग्य है, लिहाजा स्वीकार किया जाता है, दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमरा आदेशिकाएं दिनांक 05.03.2018 से आ. दिनांक को मूल वाद की आदेशिकाओं के साथ संलग्न किया गया। अधिवक्ता श्री तारचन्द आर्य प्रति सं. 9, 10, व 11 ने आवश्यक सुनवाई प्रा.पत्र के साथ प्रा.पत्र बाबत काउन्टर वाद रिवाइव कर प्रकरण शुमार करने बाबत विस्तृत विवेचन युक्त पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रतिवादीगण इसी प्रकार की [illegible] काउन्टर क्लेम के जरिये PTO	S. Kumar Adv. Tatk सोहनी [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (जिला-पाली) राज.

प्राप्त नहीं करना चाहते है। क्योंकि आपस में किये
राजीनामा अनुसार उक्त ख.नं. की भूमि बंटवारा
अनुसार मोहनलाल के हक हिस्से में रखी गई
तथा वे ही आज भी काबिज है। उक्त ख.नं.
में से उक्त मृतक के नाम हटाये जाने पर कोई
आपत्ति नहीं कर स्वीकारोक्ति की है। इस
प्रकार प्रा.पत्र पेश कर अधिवक्ता मय प्रति सं.
9,10, व 11 ने उक्त वाद जरिये विड्रोवल खारिज
किये जाने की इच्छा की है। अतः इस हेतु
पुनः अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 9,10 व 11 प्रस्तुत
का अनुसार वाद जरिये विड्रोवल खारिज किया
जाता है। मूल वाद बुक में दिनांक 30/6/17 को
अधिवक्ता मय वादीगण की इच्छानुसार जरिये
विड्रोवल खारिज हो चुका है। अतः उक्त वाद जरिये
विड्रोवल खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible]
[illegible] नम्बर से कम हो। वाद [illegible]
जाबता कार्यवाही [illegible] आदेश [illegible] गया है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.